PAC
अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर

क्रमांक :एफ.7(507)विधि/2017/ 7980 दिनांक : 1-12-17

—: परिपत्र :—

विषय : **विभिन्न न्यायालयो में लम्बित न्यायिक प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत करने, प्रतिरक्षण की कार्यवाही करने एवं निर्णय उपरान्त कार्यवाही करने बाबत्।**

न्यायिक प्रकरणों में विभाग द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा राजकीय पक्ष की ओर से न्यायालय में समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है और न ही जवाब की प्रतियॉ मुख्यालय को भिजवाई जाती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कई प्रकरणों में समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं करने को गम्भीरता से लिया गया है। इस सम्बन्ध में विधि विभाग व वित्त विभाग के द्वारा भी समय—समय पर दिशा—निर्देश जारी किये गये है।

दिनांक 27.11.2017 से 29.11.2017 को आयोजित जन लेखा समिति की बैठक में भी न्यायिक प्रकरणों में राज्य पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रभावी कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः न्यायिक प्रकरणों में ठोस कार्यवाही हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:—

1. जिन न्यायिक प्रकरणों में राज्य पक्ष की ओर से जवाब न्यायालय मे पेश किया जाना अपेक्षित है, उन प्रकरणों मे राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर—पीठ से सम्पर्क कर विभाग की ओर से जवाब तैयार करवाकर मुख्यालय से अनुमोदन करवाने के पश्चात न्यायालय मे तत्काल पेश करने की कार्यवाही करावें। यह सुनिश्चित किया जायें कि कोई प्रकरण जवाब हेतु 3 माह से अधिक अवधि का लम्बित नहीं हो। 03 माह की अवधि मे जवाब न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधित प्रभारी अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जावेगी।
2. ऐसे न्यायिक प्रकरण जिनमें न्यायालय द्वारा राजस्व राशि वसूली पर स्थगन आदेश दिये हुये है उनमें स्थगन आदेश निरस्त करवाने हेतु संबंधित राजकीय अधिवक्ता से व्यक्तिशः सम्पर्क कर अपेक्षित प्रार्थना—पत्र न्यायालय मे पेश कर प्रार्थना—पत्र की प्रतियों सहित सूचना मुख्यालय को अवगत करावें।
3. ऐसे न्यायिक प्रकरण जिनमें न्यायालय द्वारा वसूली पर स्थगन आदेश जारी नहीं किये गये है, उनमे वांछित राजस्व वसूली की राशि नियमानुसार वसूल कर मुख्यालय को प्रकरणवार सूचना उपलब्ध करवायें तथा संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता को भी अवगत कराया जावें, ताकि उनके द्वारा न्यायालय में पैरवी के समय उक्त तथ्य प्रस्तुत किया जा सकें। परन्तु सेवा सम्बन्धी अन्य प्रकरण जिनमें स्थगन आदेश जारी हो तो तुरन्त मुख्यालय को अवगत कराये जावें ताकि पालना सुनिश्चित की जा सकें तथा न्यायालय अवमानना की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।
4. जिन प्रकरणों मे आप प्रभारी अधिकारी नियुक्त है, उन प्रकरणो को नियमित रूप से राजस्थान उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राजस्थान कर बोर्ड की वेबसाईट पर अवलोकन करें एवं यदि किसी प्रकरण का निर्णय हो चुका है तो वेबसाईट पर उपलब्ध निर्णय की प्रति प्राप्त कर मुख्यालय को उपलब्ध करवायी जावें।
5. जिन प्रकरणों मे डिफेक्ट दर्शाया गया है तथा राज्य पक्ष की ओर से कोई दस्तावेज , सूचना पेश करना बकाया है तो संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर वांछित

कार्यवाही तत्काल पूर्ण कर डिफेक्ट को दूर करावें। यह सुनिश्चित किया जावें कि कोई भी न्यायिक प्रकरण डिफेक्ट के कारण खारिज नहीं हों।

6. न्यायालय द्वारा विभाग के विरूद्ध निर्णय पारित करने की स्थिति मे निर्णय की प्रमाणित प्रति न्यायालय से प्राप्त कर राजकीय अधिवक्ता की अपील/नो–अपील बाबत राय प्राप्त कर 03 दिवस की अवधि मे मुख्यालय को उपलब्ध करावें।

7. जिन न्यायिक प्रकरणों मे भारी राजस्व राशि निहित है तथा अधिनियम/नियम/ अधिसूचना या विभागीय नीति को चुनौती दी गई है। उनमे अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति करवाकर जवाब तत्काल न्यायालय मे पेश कराने की कार्यवाही करावें एवं उक्त प्रकरण मे न्यायालय मे दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही की सूचना तत्काल ई–मेल के माध्यम से मुख्यालय का भिजवाई जावें।

8. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ मे विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों मे संबंधित प्रभारी अधिकारी के द्वारा प्रत्येक सुनवाई तिथि को हुई कार्यवाही की सूचना मुख्यालय को नियमित रूप से भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

9. किसी बिन्दु विशेष पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है एवं यह निर्णय अंतिम हो गया है तो वर्तमान में लम्बित उसी प्रकृति के समान प्रकरणों को पूर्व निर्णय के आधार पर निस्तारित कराने की कार्यवाही की जायें।

10. राज्य सरकार द्वारा न्यायालय निर्णयों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायलय मे अपील प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाकर अपील पेश हेतु निर्देशित किया जाता है उन मामलों में संबधित अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर तत्काल अपील पेश कराकर स्थगन आदेश प्राप्त करने की कार्यवाही करावे तथा अपील के नम्बर से मुख्यालय को अवगत करावें।

11. माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के संबंध मे राज्य सरकार के द्वारा नो–अपील का निर्णय लिया जा चुका है उक्त निर्णय की अनुपालना के संबधं मे कोई कार्यवाही शेष है तो इस संबंध में अनुपालना हेतु वांछित स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को भिजवाये ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

12. न्यायालय निर्णयों की पालना समय पर नहीं होने एवं अपील मे स्थगन आदेश प्राप्त नहीं कर पाने के कारण याची द्वारा न्यायालय मे अवमानना याचिका दायर की जाती है। अतः इस संबंध में आपको निर्दशित किया जाता है कि अब तब निर्णित सभी प्रकरणों की पहचान सुनिश्चित की जावें और यदि उनमे आगे नो–अपील आदि की कार्यवाही हो गई है तो निर्णय की पालना सुनिश्चित की जावें। जिन प्रकरणों मे अपील/विशेष अनुमति याचिंका/रिव्यू/पुर्नस्थापन के निर्देश प्रसारित किये गये है उनमे अविलम्ब उक्त कार्यवाही करके स्थगन प्राप्ति के प्रभावी प्रयास किये जावें।

13. न्यायालय मे विभागीय/राजकीय अधिवक्ता की उपस्थिति – कुछ मामलों मे राज्य सरकार की ओर से माननीय न्यायालय मे अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति को गम्भीरता से लिया गया है। इस संदर्भ मे सभी प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि वे न्यायालय मे लम्बित प्रकरणों की पत्रावलियां वर्तमान में पैरवी कर रहे अधिवक्ता के पास नवीनतम तारीख पेशी व तथ्यात्मक सूचना सहित उपलब्ध करवाये और यदि पूर्व में पैरवी कर रहे राजकीय अधिवक्ता किन्ही कारणों से वर्तमान मे कार्यरत नहीं रह गये हों तो प्रकरण की पत्रावली वर्तमान मे नवनियुक्त/कार्यरत अधिवक्ता को उपलब्ध करवायी जावें। सभी न्यायालय प्रकरणों मे सुनवाई तिथि पर राजकीय अधिवक्ता एवं प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति रहें।

14. **<u>न्यायालय प्रकरणों की पत्रावलियों का समय–समय पर अद्यतन किया जावें</u>** – न्यायालय प्रकरणों की पत्रावलियों विभाग/राजकीय अधिवक्ता/ प्रभारी अधिकारी के पास भी अपूर्ण होती है और न्यायालय कार्यवाही की नवीनतम स्थिति अभिलेख पर नहीं पायी जाती है जबकि समय के अन्तराल मे प्रकरण मे प्रगति होती रहती है, जिससे राजकीय अधिवक्ता को समय–समय पर अवगत नहीं

करवाया जाता है। ऐसी स्थिति मे अनायास ही न्यायालय मे प्रकरण सुनवाई हेतु लग जाने पर विषम स्थिति का सामना करना पडता है और अनावश्यक रूप से विभाग के विरूद्ध विपरीत निर्णय पारित हो जाते है। इस संदर्भ मे प्रभारी अधिकारी स्वंय की पत्रावलियों का पुनर्विलोकन/समीक्षा करके प्रत्येक पत्रावली पर नवीनतम अद्यतन स्थिति सहित परिपूर्ण तौर पर संघारित की जावें।

15. Per-empetory आदेशों की पालना मे पीएफ एवं नोटिस प्रस्तुति सुनिश्चित की जावें – माननीय न्यायालय द्वारा अनेक अवसर उपलब्ध करवाने के बावजूद भी प्रभारी अधिकारी द्वारा पीएफ एवं नोटिस प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं। ऐसी स्थिति मे माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण खारिज कर दिये जाते है जो एक गम्भीर स्थिति है। अतः ऐसी प्रकरणों को चिन्हित किया जाकर Per-empetory आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावें। इस संदर्भ मे प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिवक्तागण से सम्पर्क कर माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार Per-empetory आदेशों की पालना मे आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करें।

16. कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा मुद्रांक प्रकरणों मे पारित निर्णय के विरूद्ध धारा–65 के तहत चीफ, कन्ट्रोलिंग ऑथरिटी अर्थात राजस्थान कर बोर्ड के यहाँ रिवीजन प्रस्तुत करने का विधिक उपचार उपलब्ध है। राजस्थान कर बोर्ड के यहाँ रिवीजन पेश करने हेतु मांग राशि की 25 प्रतिशत जमा राशि कराने का सबूत रिवीजन प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कई बड़े मामलों में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध पक्षकारों के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीधे ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे रिट याचिकायें प्रस्तुत कर दी जाती है। इस प्रकार के मामलों के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वसूली पर स्थगन आदेश जारी करने से वसूली करने मे कठिनाई उत्पन्न होती है। ऐसे मामलों को चिन्हित किया जावें जिनमे कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय के विरूद्ध राजस्थान कर बोर्ड के यहां रिवीजन प्रस्तुत नही करके सीधे ही राजस्थान उच्च न्यायालय मे रिट याचिका दायर कर दी गई है। ऐसे मामलों मे राजकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करवाते हुए वैकल्पिक उपचार (Alternative Remedy) उपलब्ध होने के आधार पर ऐसी रिट याचिकाओं को खारिज कराने की कार्यवाही हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया जावें।

17. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भूमिकर से संबंधित प्रकरण जो कि कर निर्धारण अधिकारी (उप पंजीयक) को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किये गये है तथा कर निर्धारण अधिकारी (उप पंजीयक) के यहां आदिनांक तक लम्बित है, उनको तत्काल निस्तारण करावें तथा अब तक लम्बित रहने के कारणों से भी अवगत करावें।

18. महत्वपूर्ण न्यायिक प्रकरणों जिनमे भारी राजस्व राशि निहित है तथा अधिनियम/नियम/अधिसूचना/विभागीय नीति को चुनौती दी गई है। ऐसे प्रकरण न्याय विभाग की वेबसाइट मे रेड केटेगरी के रूप मे दर्ज किये हुए है। अतः उक्त प्रकृति के न्यायिक प्रकरणों की वृत्त–स्तर पर समीक्षा की जाकर इस कार्यालय को अवगत करावें।

19. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम–1998 की धारा–65 के तहत चीफ कन्ट्रोलिंग रेवन्यू ऑथरिटी अर्थात राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के यहाँ कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध स्टाम्प रिवीजन प्रस्तुत की जाती है। उक्त स्टाम्प रिवीजन राज्यपक्ष की ओर से एवं निजी पक्षकारों के द्वार पेश ही जाती है। स्टाम्प रिवीजन में कलक्टर (मुद्रांक) के साथ–साथ उप पंजीयक को भी पक्षकार के रूप मे शामिल किया जाता है। निजी पक्षकारों के द्वारा स्टाम्प रिवीजन प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी के रूप में उप पंजीयक एवं कलक्टर (मुद्रांक) पक्षकार होते है। राज्यपक्ष की ओर स्टाम्प रिवीजन पेश करने पर प्रार्थी के रूप मे उप पंजीयक एवं अप्रार्थी के रूप मे निजी पक्षकार एवं कलक्टर (मुद्रांक) पक्षकार के रूप मे शामिल होते है। उप पंजीयक रिवीजन मे राज्यपक्ष की ओर से मुख्य पक्षकार होने के कारण उनका यह दायित्व है कि राजस्थान कर बोर्ड अजमेर मे विचाराधीन स्टाम्प रिवीजन मे ठोस रक्षण/प्रतिरक्षण की कार्यवाही की जावे तथा विभाग की ओर से नियुक्त राजकीय

अधिवक्ता से नियमित सम्पर्क मे रहकर रिवीजन मे हुई दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त कर मुख्यालय को सूचित करावें। रिवीजन मे निर्णय पारित होने पर निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर राजकीय अधिवक्ता की राय के साथ मुख्यालय को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

20. राजस्थान कर बोर्ड अजमेर में विचाराधीन निगरानी जिनमें 10 लाख रूपये या इससे अधिक की राजस्व राशि निहित है, उनमें विभाग की ओर से लिखित कथन प्रस्तुत किया जाना है। अतः राजकीय अधिववता राजस्थान कर बोर्ड अजमेर से सम्पर्क कर राज्य पक्ष की ओर से लिखित कथन पेश करवाकर मय प्रतियों के अवगत करावें। राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के यहां स्टाम्प निगरानी की नवीनतम स्थिति की जानकारी राजस्थान कर बोर्ड अजमेर की वेबसाईट www.Rajasthan.Tax.bord.ajmer से प्राप्त करने के साथ–साथ राजकीय अधिवक्ताओं से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

1/12/17

(डॉ राजेश शर्मा)
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर

क्रमांक :एफ.7(507)विधि / 2017 / 7981 – 8581 दिनांक : 1–12–17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक वित भवन, जयपुर।
4. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5 / कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लाक–डी वित भवन जयपुर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान।
10. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
11. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर / जोधपुर।
12. समस्त उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन) राजस्थान।
13. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. निजी–सचिव, महानिरीक्षक / निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
16. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,(प्रशासन)

ALR sir/Circular.docx